A052-20222023-001-1490528

संख्या-123/2022/1250/बावन-1-2022

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव के गजहड़ा में 01 तथा वि0ख0 सठियांव के आदमपुर में 01 पेयजल परियोजना की द्वितीय किश्त राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2061/अ0सं0क0नि02061/ अ0सं0क0नि0/ पी0एम0जे0वी0के0/धन मांग(330)/2020-21 दिनांक 05.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में सम्यक परीक्षणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव के गजहड़ा में 01 तथा वि0ख0 सठियांव के आदमपुर में 01 पेयजल परियोजना की द्वितीय किश्त की राज्यांश की धनराशि **रू0 186.06 लाख (रूपये एक करोड़ छियासी लाख छः हजार मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में परियोजनाओं से सम्बन्धित संगत राज्यांश के **लेखाशीर्षक-4235-02-800-89-8917** में प्राविधानित बजट रू0 5250.00 लाख से निम्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(के0- 50, रा0- 50) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	भारत सरकार अवमुक्त प्रथम किश्त	अवमुक्ति की जा चुकी प्रथम किश्त की धनराशि		अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि		अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	आजमगढ	विकास खण्ड सठियांव के आदमपुर में पेयजल आपूर्ति	01	244.46	122.23	122.23	61.115	61.115	61.115	61.115	61.115	61.115
2		विकास खण्ड सठियांव के गजहड़ा में पेयजल आपूर्ति		499.78	249.89	249.89	124.945	124.945	124.945	124.945	124.945	124.945
		योग						**186.06**	**186.06**	**186.06**	**186.06**	**186.06**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)-वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा

(4)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोंदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(6)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि प्राप्त नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल है। प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति नही हो रही है।

(7)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(8)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के निर्माण की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है ।

(9)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो । अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- उल्लिखित परियोजनाओं हेतु जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(11)- प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-17/2018/पी0-28/52-4-2018-पी0-22(एम0एस0डी0पी0)/18 दिनांक 30.03.2018 एवं शासनादेश संख्या-36/2018/36/52-4-2018-पी0-23(एम0एस0डी0पी0)/18 दिनांक 29.06.2018 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(13)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(14)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(15)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(16)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(17)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(18)- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(19) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना में केन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा। केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयासों एवं उपलब्धि से प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को अवगत कराया जायेगा।

(20) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि एस0एन0ए0 खातें में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय जिसका चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय अन्यथा वित्तीय वर्ष के अंत में एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की अवशेष अव्ययित धनराशि का होना वित्ततीय अनियमितता माना जायेगा। एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित व्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(22)- योजनान्र्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(23)- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय--89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश- **"8917-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण-24- वृहत निर्माण कार्य "** के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के के अशासकीय **संख्या-ई-4-318X-2022-23,** दिनांक 16.12.2022 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1250(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9. प्रबन्ध निदेशक, **उत्तर प्रदेश जल निगम** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पेजयल परियेाजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **आजमगढ़**।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।